Shikshaparivar.com

दिनॉक 6 अप्रेल 2015

नमस्कार मित्रों

प्राय : यह देखने मे आता है कि सरकार आरटीई के पुन : भरण को लेकर गम्भीर नही है जिसकी वजह से निजी विधायलों मे आर्थिक परेशानी का सामना करना पडता है ।

मैने कॉफी सोच विचार कर इस समस्या का हल निकालने हेतु यह रास्ता अपनाने का निश्चय किया है –

———————————

मै आरटीई के तहत एडमीशन लेने वाले बच्चो के अभिभावको से एक पत्र लिखवा रहा हुँ जिसमे लिखा गया है कि यदि डाकूमेन्ट की गलती से कोई एडमीशन रदद होता है तो उसकी जिम्मेवारी अभिभावक की होगी । जिसमे डाकूमेन्ट का गलत होना, फर्जी होना एवं समय पर नही आना शामिल है ।

———————————————————

दूसरा कॉलम हमने यह जोडा है कि राज्य सरकार द्वारा बुक्स बैग इत्यादि देने पर रोक लगाई गई है जिसका विधालय पालन कर रहा है ऐसी स्थिति मे आप अपने स्तर पर या सरकार से पैसे लेकर पुस्तके व अन्य सामग्री उपलब्ध करावे ।

———————————————————

तीसरा – राजकीय नियमानुसार प्रथम किस्त सित्मबर माह मे एवं द्वितीय किस्त जून माह तक आने का नियम है जिसके लिए विधालय अपने स्तर पर किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही पैन्डिग नही रखेगा , लेकिन कई बार सरकारी व्यस्तताओं/व्यवस्थाओं के चलते पुन : भरण मे बहुत देरी हो जाती है ऐसी स्थिति मे तय तारीख के एक माह इंतजार करने के पश्चात आपको उस किस्त का भुगतान करना होगा । जब सरकार से पुन : भरण हो जायेगी तब आपकी किस्त आपको वापस लौटा दी जायेगी ।

———————————————————

यदि आप भी मेरी बात से सहमत हो तो अपने विधालय मे आरटीई वाले एडमीशन लेने अभिभावको से यह पत्र लिखवा लेवे । हो सकता है यह पत्र चर्चा का विषय बने लेकिन कोई भी हमको गलत नही ठहरायेगा ।

———————————

CONFIDENTIAL

हम चाहते है कि यह विषय चर्चा का विषय बने ताकि इसमे समाधान हो सके ।

यह पत्र आप अपनी वेबसाईट शिक्षा परिवार डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते है

अनिल शर्मा

CONFIDENTIAL